

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक

सेठ आनन्दराम जैपुरिया स्कूल,
सेक्टर-डी, पॉकेट-3, अन्सल सुशान्त गोल्फ सिटी, शहीद पथ,
लखनऊ

पत्रांक-बेसिक/मान्यता-स्थायी/9439

/2020-21 दिनांक 20 मार्च 2021

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा
नियमावली 2011 के अधीन पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्बन्ध में आदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-बेसिक/मान्यता/अंग्रेजी मा0/6882/2017-18 दिनांक 18.12.2017 द्वारा आपके विद्यालय को प्री प्राइमरी से उच्च प्राथमिक (नर्सरी से कक्षा-8) स्तर तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता निर्धारित अवधि के लिए प्रदान की गयी थी। शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय की पूर्व में प्रदत्त अनंतिम मान्यता को नवीनीकृत करते हुए विद्यालय संचालित रखने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों/आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय बाध्य होगा।

भवदीय,


(दिनेश कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ 4

पू0सं0 एवं दिनांक-उक्तवत्

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
2. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), षष्ठ मण्डल, लखनऊ
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
5. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ


POONAM KOCHI
PRINCIPAL
Seth Anandram Jaipuria Sch
Sector B, Post